केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg
नई-दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न.:26858570, फैक्स/ FAX 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.110338/01/2011-केविसं(मु.)/शै.

दिनांक: 11.03.2013

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय/जैडआईईटी

विषय: केन्द्रीय विद्यालयों में संविदा आधार पर काउंसलर की नियुक्ति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की दिनांक 28 दिसंबर,2012 को संपन्न 94वीं बैठक में संविदा आधार पर शैक्षिक काउंसलर की नियुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। इसके दिशा-निर्देश निम्नवत है:-

क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएँ।

(1) प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए एक शैक्षणिक काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी।

(2) कैंद्रीय विद्यालय द्वारा काउंसलर को पूरे दिवस के लिए नियुक्त किया जाए।

ख) काउंसलर की योग्यताएं निम्नानुसार होंगी:

आवश्यक अनिवार्य योग्यताएं	आवश्यक वांछनीय योग्यताएं
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.ए/ एम.एस.सी (साइकोलोजी) और गाइडेंस व काउंसलिंग में एक वर्ष का नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा या एम.ए./ एम.एस.सी/ एम.कॉम एवं बी.एड./ एम.एड. और गाइडेंस व काउंसलिंग में एक वर्ष का नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा	किसी विद्यालय में कैरियर/ शैक्षणिक काउंसलिंग का कम से कम एक वर्ष का अनुभव या प्लेसमेंट ब्यूरो में कार्य करने का अनुभव या भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ व्यावसायिक सलाहकार के रूप में पंजीकृत कर्मचारी

ग) काउंसलर की कार्य प्रकृति से सम्बंधित सुझाव

1. बिना किसी भय के परीक्षाओं का सामना करना (ii) विद्यार्थियों के लिए तनाव प्रबंधन (iii) विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत विकसित करना (iv) अध्ययन कौशल (v) अध्ययन तकनीक (vi) समय प्रबंधन (vii) सम्प्रेषण कौशल इत्यादि विषयों की जानकारी देना
2. शिक्षा में कमजोर, मध्यम और प्रखर विद्यार्थियों के साथ डिलींग
3. विद्यार्थियों की कैरियर सम्बन्धी रूचि को जानने के लिए कक्षाओं का सर्वे करना
4. एप्टिट्यूड टेस्ट और उनके परिणामों के आधार पर विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन
5. विद्यार्थियों को अपनी पसंद के कैरियर व्यवसायों पर मोनोग्राफ तैयार करने के लिए मदद करना
6. कैरियर वार्ता
7. विद्यार्थियों द्वारा चार्ट और पोस्टर तैयार करवाना

8. कार्यस्थलों का दौरा

9. प्रोफेशनल कार्यक्रम करना

10. कैरियर सम्मेलन/ सह प्रदर्शनी

11. कैरियर मार्गदर्शन कॉर्नर' की सेटिंग

12. समस्या ग्रस्त विद्यार्थियों को काउंसलिंग देना

घ) प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित प्रस्तावित व्यय विद्यालय की विकास निधि से किया जाएगा।

शिक्षा संहिता का अनुच्छेद114, जो मार्गदर्शन और परामर्श के संबंध में इस प्रकार है:-

1. केविसं स्टाफ द्वारा मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं:

(i) कक्षा 9, 10, 11 व 12 के सभी विद्यार्थियों को परामर्श सेवाओं से लाभान्वित किया जाएगा.

(ii) सप्ताह में कम से कम एक बार समूह मार्गदर्शन गतिविधियां की जाएगीं. यथासंभव शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत परामर्श दिया जाएगा।

(iii) प्राचार्य मार्गदर्शन और परामंर्श सेवाओं के लिए ही विशेष/योग्य शिक्षकों को कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाओं के लिए प्रति सप्ताह 4-6 पीरियड आबंटित करेंगे।

(iv) प्राचार्य को प्रति माह विद्यालय विकास निधि से स्टेशनरी की खरीद के लिए, कैरियर कॉर्नर्स / प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए, अतिथि वक्ताओं को भुगतान करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, उचित/संगत खर्च करने के लिए प्राधिकृत होंगे।

2. बाहरी एजेंसियों से सेवाएं लेना

प्राचार्य निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यकता के आधार पर कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श के लिए कार्मिकों को नियुक्त कर सकते है:

अ) ऐसे कर्मियों की सेवाओं को पूरे वर्ष (अवकाश अवधि को छोड़कर) ₹ 25,000/- प्रतिमाह के समेकित भुगतान पर उपयोग में लाया जा सकता है। इस संबंध में किए गए खर्च को विद्यालय विकास निधि में समायोजित किया जाएगा।

ब) कैरियर मार्गदर्शन सेवाएं नौवीं एवं उसके आगे की कक्षाओं में दिया जा सकता है।

भवदीय

(डॉ.शची कांत)
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त, केविसं समस्त क्षेत्रीय कार्यालय को इन निदेशों के साथ कि इसे अपने अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में परिचालित करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त आयुक्त (वित्त) केविसं(मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केविसं(मु.) को सूचनार्थ।
4. निदेशक, समस्त जैड़आईईटी को सूचनार्थ।
5. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
6. उपायुक्त (शैक्षिक) के निजी सहायक को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा कोड/ लेखा कोड में तुरंत संशोधन हेतु।
7. सहायक संपादक, केविसं(मु.) नई दिल्ली के शिक्षा कोड/लेखा कोड में तुरंत संशोधन हेतु।
8. गार्ड फाईल।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18,संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area ,Saheed Jeet Singh Marg
नई-दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न.:26858570, फैक्स/ FAX 26514179
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.110338/01/2011-केविसं(मु.)/शै. दिनांकः 11.03.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः शिक्षा कोड के अनुच्छेद 114 में संशोधन - मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएँ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिशासी मंडल की दिनांक 28 दिसंबर,2012 को संपन्न 94वीं बैठक में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं से संबंधित शिक्षा कोड के अनुच्छेद 114 में संशोधन को अनुमोदित किया है।

अब मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं से संबंधित शिक्षा कोड के अनुच्छेद 114 को निम्नवत पढ़ा जाए:-

शिक्षा कोड का अनुच्छेद 114- मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएँ

(1) केविसं स्टाफ द्वारा मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवाएँ

(क) कक्षा 9,10,11 व 12 के सभी विद्यार्थियों को परामर्श सेवाओं से लाभान्वित

(ख) समूह मार्गदर्शन गतिविधियाँ सप्ताह के कम से कम एक बार की जाएगी। जितना संभव हो शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत परामर्श दिया जाएगा

(ग) प्राचार्य मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं के लिए ही विशेष/योग्य शिक्षकों को प्रति सप्ताह 4-6 पीरियड आबंटित करेंगे

(घ) प्राचार्य को प्रति माह विद्यालय विकास निधि से स्टेशनरी की खरीद के लिए, कैरियर कॉनर्स / प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिए, अतिथि वक्ताओं को भुगतान करने के लिए, जब भी आवश्यक हो, उपयुक्त/उचित खर्च करने के लिए प्राधिकृत किया जाए.

(2) बाहरी एजेंसियों सेवाएँ

प्राचार्य कैरियर मार्गदर्शन एवं परामर्श संविदा आधार पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त कर सकते हैः

(अ) ऐसे कार्मिकों की सेवाएँ पूरे वर्ष प्रतिमाह ₹ 25000/- के समेकित भुगतान पर ली जा सकती हैं (अवकाश अवधि को छोड़कर) इस व्यय का भुगतान विद्यालय विकास निधि से किया जाएगा।

(ब) कैरियर गाईडैंस सेवाएं कक्षा IX और उससे ऊपर की कक्षाओं को दी जाए।

भवदीय

(डॉ.शची कांत)
संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)

वितरणः-

1. उपायुक्त, केविसं समस्त क्षेत्रीय कार्यालय को इन निदेशों के साथ कि इसे अपने अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में परिचालित करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त आयुक्त (वित्त) केविसं(मु.) नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक) केविसं(मु.) को सूचनार्थ।
4. निदेशक, समस्त जैड़आईईटी को सूचनार्थ।
5. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
6. उपायुक्त (शैक्षिक) के निजी सहायक को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षा कोड/ लेखा कोड में तुरंत संशोधन हेतु।
7. सहायक संपादक, केविसं(मु.) नई दिल्ली को शिक्षा कोड/लेखा कोड में तुरंत संशोधन हेतु।
8. गार्ड फाईल।